भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1862
दिनांक 30 जुलाई, 2026

घरेलू तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन

†1862. **थिरु डॉ. एस. जगतरक्षकनः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने लगातार ग्यारहवें वर्ष कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट और लगातार दूसरे वर्ष प्राकृतिक गैस के उत्पादन में आई कमी का देश की ऊर्जा सुरक्षा, आयात निर्भरता, ऊर्जा वहनीयता और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता पर प्रभावों का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू निष्कर्षण और उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा देने, खोजे गए भंडारों से निष्कर्षण में तेजी लाने, अपस्ट्रीम परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने, तकनीकी क्षमताओं में सुधार करने तथा आयातित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश भर में विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए, दीर्घकालिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करने, ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने, घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और मूल्य में उतार-चढावों के प्रभाव को कम करने के लिए क्या पहल करने का विचार है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग) सरकार कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन की निरंतर निगरानी करती है और घरेलू उत्पादन और खपत/आवश्यकता के बीच अंतर का आकलन करती है तथा आपूर्ति-मांग की स्थिति की समीक्षा करती है।

पिछले एक दशक में घरेलू तेल उत्पादन में मामूली गिरावट देखी गई है, जिसका मुख्य कारण पुराने और परिपक्व तेल और गैस क्षेत्रों में प्राकृतिक गिरावट है। हालांकि, इस अवधि के दौरान, राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) - विशेष रूप से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने अपने उत्पादन स्तर को बनाए रखा है। ओएनजीसी ने लगभग 19.6 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) का औसत तेल उत्पादन बनाए रखा है, जबकि ओआईएल ने उत्पादन को 2.94 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 3.44 मिलियन मीट्रिक टन दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि 2014-15 से एनओसी ने वार्षिक गिरावट दर को 2% रखने में सक्षम रही हैं, जो परिपक्व क्षेत्रों के लिए औसत वैश्विक गिरावट दर 6% से बेहतर है(अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार)।

कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन में गहरे जलीय ब्लॉकों से नए उत्पादन के कारण 2021-22 से प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में सुधार हुआ है। हालांकि, प्राकृतिक गैस उत्पादन में लगातार दो वर्षों से गिरावट हुई है, जो 2023-24 के उत्पादन 36.438 घन मीटर (बीसीएम) से गिरकर 2025-26 में 34.776 घन मीटर (बीसीएम) हो गया है।

सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और विदेशी मुद्रा व्यय को कम करने के उद्देश्य से, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों की प्रतिभागिता के साथ, घरेलू कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा आयात पर निर्भरता घटाने हेतु कई व्यापक नीतियों, विनियमन तथा राजकोषीय उपाय किए है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ 'ऑयलफ़ील्ड्स (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम' के माध्यम से विधायी बदलाव, देश के अपतटीय क्षेत्रों में 'निषिद्ध' क्षेत्रों पर लगी पाबंदियों को हटाना, 'उत्पादन-साझाकरण संविदाओं' (पीएससी) से 'राजस्व-साझाकरण संविदाओं' (आरएससी) की ओर बदलाव, भूकंपीय डेटा हासिल करने और उसकी प्रोसेसिंग में भारी निवेश, वेधित अन्वेषण कूपों की संख्या में बढ़ोतरी आदि शामिल हैं। पिछले एक दशक के दौरान 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक के अन्वेषण रकबों को मंज़ूरी दी गई है। ऐसी पहलों की एक सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आपूर्ति संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए, भारत ने कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए अपने स्रोतों का दायरा 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है और एलएनजी और एलपीजी की आपूर्ति को 15 देशों तक विस्तारित किया है। इससे किसी विशेष देश, क्षेत्र या पारगमन मार्ग पर निर्भरता कम हुई है और आपूर्ति में व्यवधान और बाजार की अस्थिरता से निपटने की भारत की क्षमता में वृद्धि हुई है। सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों और अन्य हितधारकों के परामर्श से, वैश्विक आपूर्ति स्थितियों का निरंतर आकलन करती है और कच्चे तेल, एलएनजी और पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाती है।

सरकार ने इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक एक विशेष प्रयोजन कंपनी के माध्यम से अल्पकालिक आपूर्ति संकटों से निपटने के लिए कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) सुविधाएं स्थापित की हैं। प्रथम चरण के तहत, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 3 स्थानों पर 53.3 करोड़ मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल की कुल क्षमता वाले एसपीआर स्थापित किए गए हैं। जुलाई 2021 में, सरकार ने एसपीआर कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत ओडिशा और कर्नाटक में 65 करोड़ मीट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता वाली दो अतिरिक्त वाणिज्यिक-सह-कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार सुविधाओं की स्थापना को भी मंजूरी दी थी।

अनुलग्नक

'घरेलू तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन' के संबंध में थिरु डॉ. एस. जगतरक्षकन द्वारा दिनांक 30.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1862 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों की सूची:

i. **हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए उत्पादन-साझाकरण संविदा (पीएससी) व्यवस्था, 2014** के तहत छूट, विस्तार और स्पष्टीकरण संबंधी नीति।

ii. **खोजे गए लघु क्षेत्र (डीएसएफ) नीति, 2015**, जो उत्पादन में तेजी लाने के लिए खोजे गए लेकिन अविकसित क्षेत्रों को आवंटित करने हेतु एक पारदर्शी तंत्र प्रदान करती है।

iii. **हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और अनुज्ञप्ति नीति (एचईएलपी), 2016**, जो हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन के लिए एक समान अनुज्ञप्ति ढांचा और राजस्व-साझाकरण व्यवस्था प्रदान करती है।

iv. **पीएससी के विस्तार संबंधी नीति (2016 और 2017)**, जो उत्पादन करने वाले ब्लॉकों से निरंतर उत्पादन को सुगम बनाने के लिए है।

v. **सीबीएम ब्लॉकों के शीघ्र मुद्रीकरण संबंधी नीति, 2017**, जो विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान करती है तथा सीबीएम ब्लॉकों में प्रचालन संबंधी मुद्दों का समाधान करती है।

vi. विवादों के निपटारे हेतु, 28.02.2019 एवं 16.12.2019 की अधिसूचनाओं के माध्यम से **"प्रतिष्ठित विदेशी विशेषज्ञों की समिति" (सीईईई)** का गठन किया गया। अब तक इस व्यवस्था के कारण उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुए हैं; 31 मामलों में सीईईई द्वारा दी गई सिफारिशों को स्वीकार करके उन्हें लागू किया गया।

vii. **वर्ष 2022 में लगभग 1 मिलियन वर्ग किमी के उन अपतटीय क्षेत्रों को मुक्त करना जिन्हें पहले "नो-गो" क्षेत्र** घोषित किया गया था और जहाँ अन्वेषण प्रतिबंधित था; इससे 'खुला रकबा अनुज्ञप्ति नीति' (ओएएलपी) के तहत अन्वेषण के लिए अतिरिक्त रकबा उपलब्ध हो सके।

viii. **राष्ट्रीय तेल कंपनियों (ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटिड और ऑयल इंडिया लिमिटेड) द्वारा अन्वेषण और ड्रिलिंग गतिविधियों में तेजी लाना**, जिसमें तटीय और अपतटीय बेसिनों में 'नियर-फील्ड' अन्वेषण और विकास-ड्रिलिंग शामिल है।

ix. **'तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 2025' को लागू करना और 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025' को अधिसूचित करना**; ये कदम अपस्ट्रीम विनियामक ढांचे को आधुनिक बनाते हैं। इसके तहत हाइड्रोकार्बन संचालन के पूरे जीवनचक्र के लिए एक ही पेट्रोलियम पट्टा प्रदान किया जाता है; खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार करके उसमें पारंपरिक और गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन को शामिल किया जाता है; क्षेत्र के आर्थिक जीवनकाल तक पट्टे की स्थिरता सुनिश्चित की जाती है; और स्वीकृतियों के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं, समय-सीमाएं तथा मानकीकृत प्रारूप स्थापित किए जाते हैं। यह ढांचा बुनियादी ढांचे को साझा करने, पट्टे के विस्तार, कानून में बदलाव होने पर आर्थिक स्थिरीकरण, मजबूत अधिनिर्णयन और विवाद समाधान तंत्र, तथा बेहतर अनुपालन प्रावधानों की व्यवस्था भी करता है। इसके अलावा, यह पेट्रोलियम पट्टा क्षेत्रों के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण और कार्बन प्रबंधन सहित व्यापक ऊर्जा परियोजनाओं को सक्षम बनाता है; साथ ही, गैस फ्लेयरिंग (गैस जलाने) को सीमित करने जैसे पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को भी सुनिश्चित करता है, जिससे हाइड्रोकार्बन संसाधनों के कुशल और सतत विकास को बढ़ावा मिलता है।

x. अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी भागीदारों और वैश्विक तेल कंपनियों के साथ सहयोग, ताकि उन्नत खोज, ड्रिलिंग और रिजार्वयर प्रबंधन तकनीकों का उपयोग किया जा सके।

राष्ट्रीय तेल कंपनियों ने भी मौजूदा क्षेत्रों से घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यनीतिक अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग स्थापित किए हैं। फरवरी 2025 में, ओएनजीसी ने मुंबई हाई के लिए बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लिमिटेड को तकनीकी सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया, और मई 2026 में, उन्नत हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए शेष पश्चिमी तट क्षेत्र के लिए इस सहयोग का विस्तार किया।

xi. उच्च गुणवत्ता वाले भूवैज्ञानिक डेटा की उपलब्धता को अन्वेषण जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए, सरकार ने राष्ट्रीय डेटा भंडार (एनडीआर) की स्थापना की है, जिसमें वर्तमान में लगभग 1.33 मिलियन लाइन किलोमीटर का 2डी भूकंपीय डेटा, 0.47 मिलियन वर्ग किलोमीटर का 3डी भूकंपीय डेटा और 24,500 से अधिक कुओं से संबंधित जानकारी संग्रहित है। इसके अतिरिक्त, मिशन अन्वेषण के तहत सरकार द्वारा वित्त पोषित भूकंपीय डेटा अधिग्रहण कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जिसमें 20,000 लाइन किलोमीटर अतिरिक्त भूमि 2डी भूकंपीय डेटा का अधिग्रहण शामिल है, जबकि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से परे 30,000 लाइन किलोमीटर अपतटीय 2डी भूकंपीय डेटा का अधिग्रहण पहले ही पूरा हो चुका है।

xii. हाइड्रोकार्बन संसाधन आकलन अध्ययन (एचआरएएस): यह एक आवधिक, बेसिन-व्यापी अभ्यास है जिसमें अद्यतन भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय और कुआँ डेटा का उपयोग करके भारतीय अवसादी बेसिनों की हाइड्रोकार्बन संभावनाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, ताकि मौजूदा और पुनर्प्राप्त करने योग्य हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पुनः अनुमान लगाया जा सके। ऐसा आकलन सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है, और अंतिम आकलन 2017 में पूरा हुआ था।
